ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 58/2023/आई/339282/2023/16-3099/12/2019

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा मे,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 26 जून, 2023

विषयः-प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-327/संप्रपप/परी0अनु0(शा0)/2023दिनांक 23 जून, 2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-315/ 16-3099/12/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2022 को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, निजी व पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत किया जाता हैः-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

(i) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आगामी सत्र के प्रथम/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल प्रत्येक वर्ष दिसम्बर/जनवरी माह में प्रारम्भ करा दिया जायेगा। वर्ष-2023 में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 06 मार्च, 2023 से 20 जून, 2023 के मध्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। अभ्यर्थियों को भरे हुये आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल (https://jeecup.admissions.nic.in) खोलकर दिनांक 21.06.2023 से 27.06.2023 तक अवसर प्रदान किया गया है तथा इन तिथियों में वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया है वह शुल्क जमा कर सकेंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण, वर्ग, उपवर्ग, पाठ्यक्रम ग्रुप, केन्द्र के लिए चयनित जनपद आदि समस्त विवरण ऑनलाइन पंजीकृत कराने होंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु कम से कम 50 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा। वर्ष-2023 में 107 दिनों का समय (दिनांक 06.03.2023 से 20.06.2023) प्रदान किया गया।

(iii) अभ्यर्थी की आयु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एवं प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में सत्र के प्रारम्भ अर्थात् 01 जुलाई को) 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए के अनुरूप होगी। प्रत्येकग्रुप/पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेश/विनियमावली के अधीन होगी।

(iv) ऑनलाइन आवेदन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (वर्तमानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रु0 200/-एवं शेष हेतु रु0 300/-) को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

2. संस्था एवं पाठयक्रम के चयन हेतु विकल्प पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाना।

प्रवेश परीक्षा की तिथि के 10 दिन पूर्व अभ्यर्थियों के द्वारा पालीटेक्निको में सीट आवंटन के चयन हेतु पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर अपने आधार नम्बर (Aadhar Number) की प्रवृष्टि करते हुये, अभ्यर्थी को न्यूनतम एक तथा अधिक से अधिक विकल्प (संस्था एवं पाठ्यक्रम का नाम) पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा यदि अभ्यर्थी कोई भी विकल्प पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है तो अभ्यर्थी पूर्णतया काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांक एवं पूर्णांक (Obtained & Maximum Marks) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रविष्टि पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। (यथा ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी हेतु हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, ग्रुप-डी हेतु इण्टरमीडियट, ग्रुप-ई हेतु इण्टरमीडियट भौतिक और रसायन अनिवार्यता के साथ गणित/वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण, ग्रुप-एफ हेतु बी0एस0सी0 बायोलाजी, कैमिस्ट्री/बायो कैमिस्ट्री, ग्रुप-जी हेतु स्नातक उपाधि, ग्रुप-एच हेतु इण्टरमीडियट, ग्रुप-आई हेतु इण्टरमीडियट फीजिक्स, कैमिस्ट्री एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष तथा भौतिक, रसायन एवं गणित में 50% (एग्रिगेट) तथा ग्रुप-के हेतु इण्टरमीडियट विज्ञान अथवा इण्टरमीडियट विज्ञान व्यावसायिक/प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ दो वर्षीय आई0टी0आई0 उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें। तदुपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जा सकेंगे।

3. प्रवेश परीक्षा

संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन विधि से प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित की जायेंगी। प्रवेश परीक्षा में (Objective Type) बहु-विकल्पीय (Multiple Choice Questive) प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के चार विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे, उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक ही होगा। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य माना जायेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होगें तथा प्रत्येक प्रश्न में 04 विकल्प होगें। यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 02 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 04 अंक दिये जायेगें। प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंक (Negative Marks) देय नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त करता है तो अभ्यर्थी की मेरिट (रैंकिंग) का निर्धारण सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रुपवार परीक्षा तिथि, समय अवधि एवं पाली का विवरण घोषित किया जायेगा।

4. आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू शैक्षिक भर्ती हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण के नियम लागू होंगे।

5. प्रवेश वरीयता

(i) जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण की हो अथवा उत्तर प्रदेश के निवासी हो अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो।

(ii) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है।

6. सीटों का आवंटन

किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 के कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सीट मैट्रिक्स के आधार पर आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये गये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसके द्वारा वरीयताक्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा दिये गये समस्त विकल्प समाप्त न हो जायें अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त न हो जाये। तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटां का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची/सीटें समाप्त न हो जाये।

7. स्वास्थ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक नेत्र बिना चश्में या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने पर चिकित्सा मानक से कम नहीं होना चाहिए। ग्रुप-प् में अध्ययन हेतु अभ्यर्थी को वर्णान्धिता (Colour Blindness) से मुक्त होना आवश्यक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार समय-समय पर देय आरक्षण एवं सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा।

8. शिक्षण शुल्क

राजकीय संस्थाओं हेतु शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप तथा अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं का शुल्क प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ0प्र0 के अधीन होगा।

9. काउन्सिलिंग एवं चरणों की प्रक्रिया

(i) काउन्सिलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर दो भागों-

A. मुख्य काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों हेतु),

B. विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी। प्रत्येक काउन्सिंलग प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने वाले चरणों की संख्या उस सत्र में प्रवेश हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार उपलब्ध समय के दृष्टिगत परिषद द्वारा नियमानुसार परिवर्तित की जा सकेगी।

(ii) काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा-संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्ड्राल, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की रिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(iii) सत्र के लिए ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया/काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर आदि नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के दृष्टिगत ही काउन्सिलिंग के चरणों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(iv) राजकीय, अनुदानित तथा पी0पी0पी0 क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। प्रवेश क्षमता में परिवर्तन शासन/नियामक संस्था से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा तथा इस सूचना को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जन सामान्य के सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(v) ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी को पोर्टल पर पूर्व में दिये गये विकल्पां को संशोधित करने की सुविधा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि से काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के 05 दिन पूर्व तक प्रदान की जायेगी। काउन्सिलिंग हेतु विकल्प देते समय अभ्यर्थी अपना वर्ग, उपवर्ग, लिंग (जेण्डर) एवं राज्य सम्बन्धी अर्हता परिवर्तित कर सकेगा। इन श्रेणियों के परिवर्तन उपलब्ध किसी भी वर्ग, उपवर्ग, जेण्डर एवं राज्य में हो सकेंगे।

(vi) काउन्सिलिंग हेतु लागिंन करते हुए संस्थान एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन काउन्सिलिंग पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर अपने लागिंन आई0डी0 के माध्यम से कर सकेगें।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vii) काउन्सिलिंग हेतुपरीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्थान एवं पाठ्यक्रम के विकल्प को वरीयताक्रम व आरक्षण के अनुरूप आवंटित करते हुए अर्ह अभ्यर्थियों को उनके लागिन पर अपबन्धित (Provisional Allotment Letter) आवंटन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) अभ्यर्थियों के पास पोर्टल में दो विकल्प होगें। 1.फ्रीज (Freeze) 2.फ्लोट (Float)

(ix) यदि अभ्यर्थी फ्रीज ¼Freeze½ विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क ¼SeatAcceptance Fee½ रू0 3250/-(जिसमें से रू0 3000/- को अभ्यर्थी के शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा जबकि रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा।

अथवा

यदि अभ्यर्थी फ्लोट ¼Float½ विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क ¼Seat Acceptance cum security Fee½ रू0 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा, उक्तानुसार जमा की गयी धनराशि में रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में समाहित होगा।

(x) इन विकल्पो में से यदि अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिये पात्र होगा। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउसिलिंग के लिए पात्र होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अगले चरणों की काउन्सिलिंग में अपने विकल्पों का चयन करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के द्वारा फ्लोट विकल्प का चयन किया गया है एवं सीट एक्सेप्टेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क (Seat Acceptance cum security Fee) रू0 3250/- नहीं जमा किया है तोऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के इस चरण (Phase) से बाहर हो जायेगें।

(xi) फ्रीज (Freeze) विकल्प का चयन करने की दशा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क (Seat Acceptance Fee) रू0 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा जो कि प्रवेशित संस्था को परिषद द्वारा भेज दिया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित राजकीय पालीटेक्निकों को अभिलेखों के सत्यापन(Document Verification) हेतु सहायता केन्द्र (Help Center) निर्धारित किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड प्रमाणन (Authentication) के अनुसार निकटम जिले के राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं (सहायता केन्द्र/ Help Center) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात सहायता केन्द्र द्वारा वेरीफिकेशन पत्र जारी किया जायेगा। अवशेष प्रवेश शुल्क निर्धारित समयावधि के अन्दर ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन से प्रवेश शुल्क निर्धारित समयावधि के अन्दर ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे। अभ्यर्थियों के लॉगिन/सहायता केन्द्रों द्वारा प्रोविजनल एडमिशन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें शुल्क का विवरण एवं सत्यापित अभिलेखों (Documents/ Certificates) का विवरण अंकित होगा।

(xii) निर्धारित समयावधि के अन्दर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/प्रवेश उसी चरण (Phase) के अवशेष चक्र (Round) की काउन्सिलिंग के लिये पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी की आवंटित सीट स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसी रिक्त सीट काउन्सिलिंग में अगले राउन्ड में सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण/विशेष काउन्सिलिंग में पुनः भाग ले सकते हैं।

(xiii) अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में जमा शुल्क को विद्ड्राल करने का विकल्प मुख्य काउन्सिलिंग के अंतिम चरण तक उपलब्ध रहेगी। तदनुसार विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंकखाते में अन्तरित/रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xiv) अभ्यर्थी अपने अपबन्धित प्रवेश आवंटन पत्र (Provisional admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंकपत्र, जाति, आय, निवास स्वस्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा।यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात् संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध जांच करायी जायेगी। जांच में पुष्टि होने पर संस्था का सम्बद्धन/प्रवेश क्षमता में कटौती की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था लागिंन में फोर्स्ड (FORCED) अंकन होगा, जिसे संस्था द्वारा किसी चरण में हटाया नहीं जा सकेगा।

(xv) प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग, काउन्सिलिंग-कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अंतिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

(xvi) प्रदेश की राजकीय, अनुदानित,पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0/फार्मेसी एवं अन्य पाठयक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।

10. उचित हस्ताक्षेप के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार-(समय, चयन प्रक्रिया में एकरूपता निर्धारित करना आदि)

काउन्सिलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया हेतु निर्धारित किये गये उपरोक्त चरणों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जायेगा तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया/काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर आदि नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

11.प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का संरक्षण

प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची सुरक्षित रखी जायेगी। यह डेटा काउन्सिलिंग पोर्टल पर भी संरक्षित रखा जायेगा।

12. काउन्सिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया में यदि कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये हैं तो इस प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु एक चार सदस्यीय समिति विचार करेगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जायेगी। समिति निम्नवत् होगी :-

(1)	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ	अध्यक्ष
(2)	सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
(3)	सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, लखनऊ	सदस्य
(4)	सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य-सचिव

यह समिति संज्ञान में आई समस्या के निराकरण हेतु तत्काल विचार करेगी तथा अपनी संस्तुति निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को प्रस्तुत करेंगी। समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के स्तर से विचार कर निर्णय लिया जायेगा तथा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

13.काउन्सिलिंग की अन्तिम तिथि समाप्त होने के फलस्वरूप यदि प्रवेश सम्बन्धी कोई समस्या या कठिनाई उत्पन्न होती है तो परिषद उस समस्या/कठिनाई के निराकरण/मार्गदर्शन हेतु प्रकरण को शासन को संदर्भित करेगा तथा शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार ही प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

14.शासनादेश संख्या-1538971/2021-16-1099/282/2020-1, दिनांक 01 फरवरी, 2021 केअनुपालन में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं का डेटा परिषद द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को यूराईज पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

15.संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, द्वारा आयोजित ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' में सम्मिलित होने /काउन्सिलिंग में भाग लेने से अभ्यर्थी एवं संस्था उन सभी नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगे,जो इस शासनादेश के विभिन्न प्रस्तर/बिन्दुओं में अंकित है या जिन्हें समय-समय पर परिषद या राज्य सरकार द्वारा निर्गत/लागू किया जाता है।

कृपया उक्त प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

कल्पना अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
7. समस्त प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक/ डिप्लोमा संस्थाएं (द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।